



2026:AHC:37197

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-ए संख्या-2494/2026

वसुंधा चौहान

....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता: प्रदीप कुमार श्रीवास्तव

प्रतिवादी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. श्री अजय कुमार श्रीवास्तव (ए.ओ.आर ए/ए 003/2019) को रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के स्थायी अधिवक्ता श्री पीके श्रीवास्तव का संक्षिप्त विवरण देते हुए सुना।
2. रिट याचिकाकर्ता की शिकायत है कि उसने आगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पद के लिए आवेदन किया था, रिट याचिकाकर्ता के अनुसार वह योग्यता सूची में क्रम संख्या 1 पर है, हालांकि, काव्या रंजन द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के कारण, रिट याचिकाकर्ता को वे लाभ नहीं दिए जा रहे हैं, जिनकी वह अधिकारिणी हैं, रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि रिट याचिकाकर्ता पहले से ही जिला मजिस्ट्रेट कुशीनगर के समक्ष मामले का प्रतिनिधित्व कर चुका है।
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि इस संबंध में द्वितीय प्रतिवादी, जिला मजिस्ट्रेट, कुशीनगर द्वारा निर्णय लिया जाना है।
4. न्यायालय के पार इस प्रकार की गई प्रस्तुति को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका में रिट याचिकाकर्ता को दूसरे प्रतिवादी के समक्ष रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक व्यापक प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने का निर्देश देने का निर्णय लिया गया है, जिला मजिस्ट्रेट, कुशीनगर से 27.02.2026 तक संपर्क करें, इसके उपरांत, दूसरा प्रतिवादी दो महीने के अवधि के भीतर प्रभावित पक्षों को सुनने के बाद रिट याचिकाकर्ता के दावे पर विधि के अनुसार सख्ती से निर्णय लेगा।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



19 फरवरी, 2026

राजेश

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”